भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 926

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असुरक्षित खाद्य अपमिश्रकों पर प्रतिबंध

926. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उन वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययनों की जानकारी है जो आम तौर पर ब्रेड में फ्लोर-ब्लीचिंग और गूथे हुए आटे को मजबूत करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य अपमिश्रक एज़ोडीकार्बोनामाइड (एडीए) और बेकरी और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले संरक्षक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सीनसोल (बीएचए) कैंसर, एलर्जी और श्वसन संबंधी रोगों जैसे संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया, जैसे देशों में एडीए को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है जबकि बीएचए विश्वस्तर पर सख्त विनियमन के अधीन है और यदि हां, तो देश में ब्रेड और अन्य खाद्य उत्पादों में उक्त अपमिश्रकों के निरंतर उपयोग की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में अद्यतन विष-विज्ञान साक्ष्य के मद्देनजर एडीए और बीएचए के लिए अनुमेय सीमा का हाल ही में कोई पुनर्मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मानकों को संशोधित करने और देश भर में सभी खाद्य निर्माताओं और बेकरी द्वारा सख्त प्रवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अनुसार, किसी भी खाद्य उत्पाद में एज़ोडिकार्बोनामाइड (एडीए) के उपयोग की अनुमति नहीं है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनीसोल (बीएचए) का उपयोग बेकरी उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों में अनुमत है। बेकरी उत्पादों में, बीएचए की अधिकतम अनुमत मात्रा 200 मिलीग्राम/किग्रा है। संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की खाद्य योजक विशेषज्ञ समिति (जेईसीएफए) और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) जैसी वैश्विक जोखिम मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा किए गए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बीएचए का उपयोग अनुमेय है।

इसके अलावा, खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी हैं। एफएसएस अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों (एफएसएसआर) के अंतर्गत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों, क्षेत्रीय कार्यालयों और खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से नियमित रूप से स्थानीकृत या लक्षित प्रवर्तन और निगरानी कार्यकलापों को संचालित करता है।

किसी भी विचलन के मामले में, एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरूद्ध उचित विनियामक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
